

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर

राज्य कृषि प्रसन्न संस्थान परिसर, भुवनेश्वर, जयपुर-302018 दूरभाष नं. 0141-2722520

क्रमांक: प.14(109)RSSB/अर्थना/CET/सी.से./2022/939

दिनांक: 10.10.2022

विज्ञापन सं. 10/2022

समान पात्रता परीक्षा (Common Eligibility Test) (सीनियर सैकण्डरी स्तर)-2022

बोर्ड द्वारा राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिकवर्गीय सेवा (समान पात्रता परीक्षा) नियम-2022 के अन्तर्गत निम्नलिखित सेवाओं हेतु समान पात्रता परीक्षा (सीनियर सैकण्डरी स्तर) के लिए निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन पत्र (Online Application Form) आमंत्रित किये जाते हैं:-

क्रम संख्या	सेवा का नाम	पद का नाम
1.	राजस्थान वन आग्निस्थ सेवा	वनपाल
2.	राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात अधीनस्थ सेवा	छात्रावास अधीक्षक
3.	राजस्थान सचिवालय लिपिकवर्गीय सेवा	लिपिक ग्रेड- II
4.	राजस्थान अधीनस्थ जयलिय लिपिकवर्गीय सेवा	कनिष्ठ सहायक
5.	राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा	लिपिक ग्रेड-II
6.	राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा (निवारक शाखा)	जग्गदार ग्रेड-II
7.	राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा	कास्टेबल

समान पात्रता परीक्षा(सीनियर सैकण्डरी स्तर) के संबंध में सामान्य दिशा निर्देश:-

- समान पात्रता परीक्षा (सीनियर सैकण्डरी स्तर) मात्र एक पात्रता परीक्षा है। समान पात्रता परीक्षा (सीनियर सैकण्डरी स्तर) में सम्मिलित पद पर भर्ती सुसंगत सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार की जायेगी। किसी अभ्यर्थी का समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने तथा स्कोर अर्जित कर लेना मात्र ही उसके नौकरी की गारंटी नहीं देगा। अभ्यर्थियों को भर्ती एजेंसी द्वारा संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में भाग लेने के लिए उपस्थित होना होगा और उसे अर्जित करना होगा और सुसंगत सेवा नियमों में अधिकलिखित अन्य कसौटी भी पूर्ण करनी होगी। समान पात्रता परीक्षा (सीनियर सैकण्डरी स्तर) में सम्मिलित सेवाओं के पदों पर भर्ती के लिये अलग से भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जायेगा, जिसमें अभ्यर्थियों का चयन श्रेणीवार रिक्त पदों के अनुसार चरिखता के आधार पर किया जायेगा। मुख्य भर्ती परीक्षा का आयोजन एवं भर्ती की कार्यवाही उस सेवा के सेवा नियमों के अनुसार की जायेगी।
- समान पात्रता परीक्षा (सीनियर सैकण्डरी स्तर) वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी। समान पात्रता परीक्षा का स्कोर परिणाम की दिनांक से एक वर्ष के लिये मान्य होगा।
- बोर्ड द्वारा उन समस्त अभ्यर्थियों के अंक, जो समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित हुये हैं, प्रकाशित किया जायेगा।
- समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने के प्रश्नों की संख्या के संबंध में कोई निर्बंधन नहीं होगा। अभ्यर्थियों के पास समान पात्रता परीक्षा में अपना स्कोर सुधारने का अवसर होगा। किसी अभ्यर्थी का समान पात्रता परीक्षा(सीनियर सैकण्डरी स्तर) में सम्मिलित पदों के लिये आने वाली परीक्षा से पूर्व का सर्वोत्तम उपलब्ध स्कोर मान्य होगा।
- समान पात्रता परीक्षा(सीनियर सैकण्डरी स्तर) में उल्लिखित अधीनस्थ और लिपिकवर्गीय सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती को शासित करने वाले किसी नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति समान पात्रता परीक्षा(सीनियर सैकण्डरी स्तर) में उल्लिखित पदों पर चयन के लिए संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में उपस्थित होने का पात्र नहीं होगा यदि वह सीईटी में इतने न्यूनतम अंक जो भर्ती एजेंसी द्वारा अध्यासित किये जायें, प्राप्त करने में असफल रहता है। न्यूनतम अंक अध्यासित करते समय, भर्ती एजेंसी यह विचार करेगी कि समान पात्रता परीक्षा(सीनियर सैकण्डरी स्तर) में उल्लिखित पद पर अध्यासित रिक्तियों की कुल संख्या के पंद्रह गुना अभ्यर्थी, इस प्रकार विज्ञापित रिक्तियों के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे किन्तु, उक्त श्रृंखला में उन समस्त अभ्यर्थी को जो वहाँ अंक अर्जित करते हैं जो भर्ती एजेंसी द्वारा किसी निम्नतर श्रृंखला के लिए नियत किये जायें, समान पात्रता परीक्षा(सीनियर सैकण्डरी स्तर) में उल्लिखित पदों पर चयन के लिए संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में प्रवेश दिया जायेगा। परन्तु यदि भर्ती एजेंसी की यह राय हो कि, समान पात्रता परीक्षा(सीनियर सैकण्डरी स्तर) में उल्लिखित पद पर भर्ती के लिए संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में उपस्थित होने के साधारण मानक के आधार पर आरक्षित प्रवर्ग वाले अभ्यर्थियों को पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं है तो, भर्ती एजेंसी द्वारा ऐसे आरक्षित प्रवर्ग वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के लिए लिखित मानक लागू किया जा सकेगा ताकि उस प्रवर्ग में के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में उपस्थित होने के लिए उपलब्ध हो। इस प्रयोजन के लिए, रिक्तियों की कुल अनुमानित संख्या के पंद्रह गुना की

विचार की संख्या सीमा शिथिल भानी जायेंगी। तथ्यपि, लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में उपस्थित होने के लिए, इस प्रकार अतिरिक्त रूप से अर्हित अभ्यर्थी, कंपल उनके प्रयोगों के लिए आवश्यक पदों पर चयन के लिए पत्र होंगे।

6. समान पात्रता परीक्षा (सीनियर सैकण्डरी स्तर) में उल्लेखित किसी पद पर भर्ती के लिये, शैक्षणिक अर्हता, आयु, अनुभव आदि ऐसी होंगी जो उस पद पर भर्ती को शामिल करने वाले सूत्रगत सेवा नियमों में यथा विहित है।
7. समान पात्रता परीक्षा (सैनियर सैकण्डरी स्तर) में उपस्थित होने से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा स्वयं यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यह समान पात्रता परीक्षा (सीनियर सैकण्डरी स्तर) में सम्मिलित किसी पद हेतु आयु, शैक्षणिक अर्हताओं आदि, यदि कोई हो, के संबंध में शर्तें पूर्ण करता/करती है। समान पात्रता परीक्षा के लिये अनुज्ञात किया जाना अभ्यर्थी को पात्रता की उदाहरण मात्रता का पत्र नहीं बनायेगा।

1. ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया:—बोर्ड द्वारा आवेदन Online Application Form लिये जाये जिन्हे राज्य के निर्धारित ई-मित्र डिप्लोमा/जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भरा जा सकता है। ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी **विस्तृत विज्ञापन एवं संबंधित राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिकवर्गीय सेवा (समान पात्रता परीक्षा) नियम 2022** का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेंगे। तदुपरान्त ही अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करें।

1. ऑनलाईन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को बोर्ड के ऑनलाईन पोर्टल <http://rsmssb.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध Apply online link को Click कर अथवा एन.एस.ओ पोर्टल <http://sso.rajasthan.gov.in> से Login पर Citizen Apps (GZC) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर One Time Registration (OTR) करना होगा। प्रथम बार One Time Registration (OTR) करने हेतु अभ्यर्थी के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकण्डरी/समकक्ष परीक्षा एवं आधार कार्ड/पैन कार्ड/पोस्टर कार्ड/आईडिंग लाईसेंस आई.डी. में से किसी एक आई.डी. प्रकार के विवरणों का इन्ट्राज एवं क्रॉसचेक अपलोड करने अनिवार्य होंगे।
2. अभ्यर्थी द्वारा One Time Registration (OTR) कर्मांक जनरेट होने के पश्चात् OTR Profile में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकण्डरी/समकक्ष परीक्षा का विवरण एवं आधार कार्ड/पैन कार्ड/पोस्टर कार्ड/आईडिंग लाईसेंस आई.डी. विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा।
3. यदि अभ्यर्थी के आधार कार्ड में अथवा जन आधार कार्ड में उसके नाम, पितः के नाम, जन्म तिथि एवं लिंग में कोई त्रुटि है तो इन त्रुटियों को पहले से ही दुरुस्त करा लेना चाहिए।
4. यदि अभ्यर्थी अपना OTR रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड/जन आधार कार्ड के माध्यम से न करके SSO ID के माध्यम से करता है तो उसे सैकण्डरी की अंकतालिका में एक पहचान परतावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा।
5. अभ्यर्थी को परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के पश्चात् Recruitment Portal पर उपलब्ध गुप्तता सुविधा से परीक्षा शुल्क का गुप्तता कर आवेदन पत्र क्रमांक (Application I.D) जनरेट करना होगा।
6. अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा करवाने हेतु अन्य किसी पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग नहीं करें।
7. अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का गुप्तता आवेदन की अंतिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधित Transaction का लंबित रकथयन समय रहते हो सके अन्यथा इसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
8. आवेदक अपने स्वयं का ही मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. दर्ज करें तथा इसे नहीं बदलें। महत्वपूर्ण सूचनाएँ आवेदन में दर्ज मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. पर ही भेजी जाती हैं।
9. आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन पत्र क्रमांक (Application I.D) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन Submit नहीं माना जायेगा।
10. आवेदक जिले श्रेणी के तहत आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो Recruitment Portal पर दिये गये Helpdesk Number या E-Mail पर सम्पर्क करें। ई-मित्र हेल्पलाईन नम्बर 0141-2221424 / 2221425 एवं ऑनलाईन आवेदन संबंधी समस्याओं के लिये हेल्पलाईन नम्बर 0294-3057541 पर सम्पर्क करें।
11. आवेदक जिले श्रेणी के तहत आवेदन करने हेतु पात्र हैं, उसी श्रेणी में ऑनलाईन आवेदन करें। गलत सूचना देने/लथ्य छुपाने पर बोर्ड अभ्यर्थी पर निम्नानुसार कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा।
12. Online Application Form में संभस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। ऑनलाईन आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञापन के ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा इसमें दिये गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन करें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा।
13. समान पात्रता परीक्षा (सीनियर सैकण्डरी स्तर) के संबंध में समस्त पत्राचार बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in के माध्यम से किया जायेगा। कृपया इस भर्ती परीक्षा के संबंध में समस्त अद्यतन जानकारी के लिये बोर्ड की वेबसाइट को निरंतर रूप से देखते रहें।

2. आवेदन एवं परीक्षा शुल्क:-

- आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप निम्नानुसार शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से चयन बोर्ड को ऑनलाईन जमा करवावे।
- (क) सामान्य वर्ग व कीमोलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु -रुपये 450/-
- (ख) राजस्थान के तीन कमलेश्वर क्षेत्रों के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग एवं अर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक हेतु -रु 350/-
- (ग) समस्त विशेष वांग्मज्ज तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु -रुपये 250/-
- (घ) कार्मिक विभाग के परिवार क्रमांक 4.8(3) कार्मिक/क-2/18 दिनांक 02.05.2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम है के लिये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समान ही परीक्षा शुल्क रुपये 250/-देय है। (कृपया इस संबंध में नीचे अंकित नोट संख्या 3 भी अवश्य देखें।)

नोट:-

- राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/अर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा; अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा।
- फीस एक बार जमा होने पर वापिस नहीं लौटाई जायेगी।
- सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम है तथा वे परीक्षा शुल्क रुपये 250/- ही जमा कराते हैं, ऐसे अभ्यर्थी अपने परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम होने का राक्षम प्रारिक्तरी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा के बाद की जाने वाली भाषा की जांच एवं दस्तावेज के सत्यापन के समय आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।

3. समान पात्रता परीक्षा (सीनियर सैकण्डरी स्तर) के संबंध में विशेष निर्देश:-

- अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन में अपनी श्रेणी एवं आरक्षित श्रेणी तथा सामान्य, अर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं वरग जिले की सदस्यता आदिम जति का निर्धारित कॉलम में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें। इसके आधार पर ही मुख्य परीक्षा में श्रेणी का निर्धारण किया जायेगा।
- इसी प्रकार अभ्यर्थी अपनी श्रेणी तथा महिला, दिव्यांग, परिवर्तता, दिव्यांगजन(B/LV, HI, LD/CP, MI/MD) भूतपूर्व सैनिक एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी का भी ऑनलाईन आवेदन में निर्धारित कॉलम में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें। इसके आधार पर ही मुख्य परीक्षा में श्रेणी का निर्धारण किया जायेगा।
- अनुसूचित क्षेत्र के आवेदक ऑनलाईन आवेदन में अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें। अनुसूचित क्षेत्र के लिये केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे।
- भूतपूर्व सैनिकों के संबंध में भर्ती संबंधी समस्त कार्यवाही राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आर्सेलन्) नियम-1988 तथा संशोधित के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। "भूतपूर्व सैनिक" के शब्द में व्यक्ति जो राज्य में बसे हुए है, से व्यक्ति जो राजस्थान का मूल निवासी है, अभिप्रेत है। राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही भूतपूर्व सैनिक वर्ग का लाभ दिया जायेगा।
- उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आरक्षण राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक K.S.(J1)DOP/A-11/84 दिनांक 21.11.2018 के अनुसार देय होगा।
- राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार विधम, 2018 दश संशोधित के अनुसार दिव्यांगजनों निम्नलिखित श्रेणियों को आरक्षण का लाभ देय होगा :-

- B/LV (Blindness/ Low vision)
- HI (Hearing Impairment)
- LD/CP (Locomotor Disability) Including Cerebral palsy, Leprosy Cured, Dwarfism, Acid attack victims & Muscular dystrophy
- Autism, Intellectual Disability, Specific Learning Disability & Mental illness.
- Multiple Disabilities from amongst persons under clauses (i) to (iv) including deaf- blindness in the posts indentified for each disabilities.

नोट:- वरसु संबंधित विभाग द्वारा उद विशेष के लिए उपरोक्त दिव्यांगजन श्रेणियों में से छूट/शिथिलन लेने पर उपयुक्त दिव्यांगजन श्रेणी को ही उस पद के लिए मान्य माना जायेगा।

4. पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता:-

क्र. सं.	विभाग का नाम	पद का नाम	आयु सीमा (01.01.2023)	शैक्षणिक योग्यता
1.	वन विभाग	वनपाल	18-43 वर्ष	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर से या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सीनियर सैकण्डरी (10+2) या सरकार द्वारा उचित समतुल्य घोषित परीक्षा उत्तीर्ण।

2.	अल्पसंख्यक मामलों का विभाग	आवादास अधीनस्थ	18-40 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सैकण्डरी या उसके समतुल्य परीक्षा। और भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के निर्देशाधीन डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एकीकृतेशन नवरमेन्ट ऑफ इंडिया (DOEACC) द्वारा अकादेमिक "ओ" लेवल या उच्च स्तर सर्टिफिकेट या व्यवसायिक प्रशिक्षण योजना के राष्ट्रीय परिषद/सिमानस कॉन्सिल / राज्य परिषद(स्टेट कॉन्सिल) के अधीन अकादेमिक Computer operator & Programming Assistant (COPA)/ Data Preparation and computer software (DPCS)कोर्स का प्रमाण पत्र या एन.आई.ई.एल.आई.टी. नई दिल्ली द्वारा आयोजित कम्प्यूटर संकल्पना का प्रमाण पत्र कार्यक्रम। या भारत में विश्वे द्वारा स्थापित विरपविद्यालय या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर साइंस/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा/डिग्री/प्रमाण पत्र या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक पॉलिटेक्निक संस्थान से कम्प्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा या राजस्थान नॉलज कंट्रोलरान लिमिटेड के नियंत्रण में तृतीयांश महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा आयोजित राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इम्प्लेमेंटेशन टेकनॉलोजी (RS-CIT)कोर्स का प्रमाण पत्र
3.	राजस्थान लोक सेवा आयोग	लैंग्विज ग्रेड-II	18-40 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सैकण्डरी या उसके समतुल्य परीक्षा और राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999 में यथा विनिर्दिष्ट कम्प्यूटर अर्हता। भूतपूर्व सेना कार्मिक के मामले में रक्षा सेवाओं में गैर-कमीशन अधिकारियों के रैंक का भूतपूर्व सेना कार्मिक।
4.	राज्य अधीनस्थ विभाग/ कार्यालय	लिपिक ग्रेड-III	18-40 वर्ष	मान्यता प्राप्त स्कूल/परीक्षा बोर्ड से सीनियर सैकण्डरी या बारहवीं कक्षा या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण।
5.	आवकारी विभाग	जमादार ग्रेड-III	18-40 वर्ष	
6.	पुलिस मुख्यालय	फास्टेडल	18-24 वर्ष	

जो व्यक्ति उद्योग के अंतिम वर्ष को पूरी तरह से उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा है, जो इन नियमों में उल्लिखित पद के लिए शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता है वह सीमा भर्ती के लिए उचित पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा लेकिन वह/उसे उपयुक्त क्वॉलिफिकेशन को अधीनस्थ शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।-

1. मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले, जहाँ लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के दो वर्षों के माध्यम से चयन किया जाता है,
2. साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहाँ लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है।
3. लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहाँ केवल लिखित परीक्षा या केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है, जैसा भी मामला हो।

समान पात्रता परीक्षा हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले हैं या सम्मिलित हो रहे हैं अपेक्षा में आवेदन कर सकेंगे परंतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता मुख्य परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित करनी अनिवार्य होगी; अन्यथा परीक्षा के बाद शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वाले अपेक्षितों को समान पात्रता परीक्षा (सीनियर सैकण्डरी स्तर) में शामिल नहीं की गयी; हेतु आयोजित गती में पात्र नहीं माना जायेगा।

5. आयु:- समान पात्रता परीक्षा (सीनियर सैकण्डरी स्तर) में शामिल नहीं की गयीं आयु सीमा संबंधित पद से संबंधित सेवा नियमों में निर्दिष्ट अनुसार होगी। संबंधित पद के सेवा नियमों में निर्दिष्ट आयु सीमा दिवस संख्या 04 फरवरी एवं शैक्षणिक योग्यता के कोलम संख्या 04 में दर्शाये अनुसार होगी।

नोट:-राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 23.09.2022 द्वारा दिवस सेवा नियमों में संशोधन कर आयु सीमा में छूट दी है। इसी अनुसार समान पात्रता परीक्षा (सीनियर सैकण्डरी स्तर)-2022 में भी आयु सीमा में छूट देय होगी। अधिकतम आयु सीमा में छूट निम्नानुसार देय होगी:-

"The person who was within the age limit on 31.12.2020 shall be deemed to be within the age limit upto 31.12.2024."

सबसे कम आयु सीमा में अन्य विशेष श्रेणियों में छूट निम्न प्रकार देय होगी:-

1. अधिकतम आयु सीमा में -
(क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को, जो राजस्थान के गूल निवासी हैं, के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।
(ख) सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।
(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो राजस्थान की गूल निवासी हैं, के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी।

2. अधिकतम आयु सीमा छह भूतपूर्व कैंडी के मामले में लागू नहीं होगी जिसने राजा मिलने से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर संस्थाई अर्ज़ार (Substantive) पर सेवा की हो और जो राजा पाने से पूर्व नियमों के अधीन नियुक्ति का पत्र था।
3. अधिकतम आयु की सीमा में किसी ऐसे भूतपूर्व कैंडी के मामले में उसके द्वारा भागी गई राजा की अवधि के बराबर काल तक की छेला की जाएगी, आ कि राजा मिलने से पहले अधिक आयु का नहीं हुआ हो और नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए योग्य था।
4. एन.सी.सी. कैडेट प्रशिक्षकों (Cadet Instructors)की उनकी वस्तुदिक आयु में से उत्तर समय घटाने की अनुमति दी जायेगी जिसका समय उन्होंने एन.सी.सी. की सेवा में बिताया है यदि उसके परिणाम स्वरूप उनकी आयु संपूर्ण निर्धारित अधिकतम अवधि 3 वर्ष से ज्यादा नहीं हुई हो।
5. राज्य सेवा ने एक पद के लिए अस्थायी रूप से नियुक्त किए गए व्यक्तियों को आयु सीमा के भीतर माना जाएगा यदि वे आठु सीमा को भीतर थे, जब वे शुरू में नियुक्त किए गये थे, भले ही वे आयु सीमा पार कर चुके हों, जब वे चयन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत हों और दो अवसरों तक की अनुमति दी जायेगी, जैसा वे अपनी प्रारंभिक नियुक्ति के समय प्राप्त थे।
6. सेना में मुक्त होने के बाद जारी किए गए आपातकालीन कमीशन अधिकारी और शॉर्ट सर्विस कमीशन के अधिकारियों के व्यक्तियों के मामलों में निर्धारित आयु सीमा में मिला जायेगा भले ही वे निर्धारित आयु सीमा को प्राप्त कर चुके हों जब वे चयन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत हों।
7. 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान से वापस भारत आये व्यक्ति के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।
8. रिजिट्रिस्ट अर्थात् रिजर्व में स्थानान्तरित वरिष्ठ कर्मियों एवं भूतपूर्व सैनिकों के मामले में अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी परन्तु कास/वीर चक्र या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारकों की दशा में उच्च आयु सीमा 02 वर्ष तक शिथिल करने योग्य होगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिये आयु में रिजर्व के प्रावधान कार्मिक दिनांक की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(18) कार्मिक/क-2/84 पार्ट/II दिनांक 17.4.2018 एवं दिनांक 22.12.2020 के अनुसार भी लागू होंगे।
9. विधवाओं और विधिवन विवाह महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी किन्तु राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट की गई सेवागिरुति आयु से उसकी आयु कम होनी चाहिये।
10. राज्य सरकार, पंचायत समिति तथा जिला परिषदों और राज्य पब्लिक सेक्टर स्तरका/निगमों के कार्यकर्ताओं के सर्वे में अविच्छादी स्थिति से सेवा कर रहे व्यक्तियों के संबंध में उपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
11. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार (शिशोधित) नियम-2021, के नियम 6(A) में किए गए प्रावधान के अनुसार संबंधित सेवा नियमों में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में दिव्यांगजनों को 05 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। विभिन्न श्रेणियों के दिव्यांगजनों को आयु सीमा में छूट देना निर्धारण में निर्धारित आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी।

स्पष्टीकरण :- विधवा महिला के मामले में उसे श्रद्धा प्राधिकारी से अपने वृत्ति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विवाह विधिवन महिला के मामले में उसे विवाह विच्छिन्न (डिक्री) का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।

नोट:-

- (क) उपरोक्त नियम 5 की करं. 1 से 11 पर दर्शित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है अर्थात् अर्जियों को उपरोक्त करं. 1 से 11 में वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों का जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

6. आवेदन एवं परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अवधि:-

- (क) परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र किओस्क, जन सुविधा केंद्र (C.S.C.), नेट बैंकिंग, एटीएम कम डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दिनांक 12.10.2022 से दिनांक 11.11.2022 को रात्रि 23.59 बजेतक जमा कराया जा सकता है।
- (ख) ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 12.10.2022 से दिनांक 11.11.2022 को रात्रि 23.59 बजेतक बोर्ड की वेबसाईट पर भरें जा सकते हैं (इसके उपरान्त लिंक निश्चिप हो जायेगा)। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाईन आवेदन करें।

7. परीक्षा आयोजन:-

समान मात्रात परीक्षा (सीनियर लेकण्डरी स्तर) की परीक्षा बोर्ड द्वारा दिनांक 18.02.2023, 19.02.2023, 25.02.2023 एवं 26.02.2023 को आर्गैटित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित करवाई जायेगी। इस संबंध में विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाईट एवं प्रेस चेजलि के माध्यम से अलग से दे दी जायेगी। बोर्ड के पास परीक्षा की दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है। यदि परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जाती है तो समानीकरण (Normalization) की कार्यवाही की जायेगी।

8. प्रवेश पत्र:-

बोर्ड द्वारा समस्त अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाईट के माध्यम से ही ऑनलाईन प्रवेश पत्र जारी किये जायेंगे। बोर्ड द्वारा अलग से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जायेगा। बोर्ड की वेबसाईट पर प्रवेश पत्र जारी किये जाने की सूचना समाचार पत्रों एवं वेबसाईट के माध्यम से जारी की जाएगी। आवेदक अपना प्रवेश पत्र वेबसाईट से प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र क्रमांक एवं जन सुविधा (C.S.C) पर फॉस लाभ अर्ज के का टोकन नम्बर ध्यान में रखते उपलब्ध रासवर्तों एवं सुविधा के अन्वय पर प्रवेश पत्र सम्बन्धी सूचना अर्जिक के ई-मेल आईडी (E-mail ID) एवं मोबाइल नम्बर पर भेजी जा सकती है।

9. नियुक्ति की अयोग्यताएँ :-

(1) किसी भी ऐसे पुरुष आवेदक को जिसकी एक से अधिक जीवांत पत्नी हो चिन्हित किए जाने या नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी आवेदक को इस नियम की अर्हताही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।

(2) किसी भी ऐसी महिला आवेदक को जिसने उस पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी महिला आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।

(3) कोई भी विवाहित आवेदक सेवा में नियुक्ति करने के लिए पात्र नहीं होगा/होगी, यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो।

(4) ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 1-0-2002 के या उसके गश्चात दो से अधिक बच्चे हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा परन्तु दो से अधिक बच्चों वाल किसी भी आवेदक को नियुक्ति के लिए तब तक विरहित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 के विद्यमान उराले बच्चों की संख्या में बढ़ाव नहीं है।

परन्तु यह और भी कि किसी आवेदक के पूर्वतर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक गश्चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होने हैं यहाँ बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार केवल हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा।

परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान भी, जो पूर्वतर प्रसव से पैदा हुई हो और निश्चय हो, गणना नहीं की जाएगी।

(5) कोई भी सम्पीडवार जिसो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने छद्मकारिता (अन्य आध को अन्य व्यक्ति लेना बताना) करने, या कानून-छांट किए हुए जातीय वस्तुओं को बेचने या गलत बयान देने या महत्वपूर्ण सूचना छिपाने या परीक्षा में अनुचित तरीके काग में लेने या लेने का प्रयत्न करने, या परीक्षा में प्रवेश प्रथा करने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित तरीके अपनाने का कोषी प्रोचित किया हो, या अपने आध को फौजदारी मुकदमों का उत्तरदायी बनाने के अतिरिक्त, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए, स्थगित रूप से या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक के लिए वरिष्ठता (Debarred)कर दिया जायेगा।

10. ऑनलाईन आवेदन के विशेष निर्देश:-

- ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिनांक तक ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदक आवेदन पत्र प्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि यह विज्ञापन के नियमनुसार मात्रा की समस्त हर्षों पूरी करता है एवं यह के समस्त में काही आवश्यक समस्त सूचनाएं सम्बन्धित कॉलम में सही-सही एवं पूर्ण भरी गई है। समस्त प्रतियोगिता पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में बोर्ड द्वारा आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया जाएगा अथवा ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुये परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जाएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
- बोर्ड द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही अभ्यर्थियों की पात्रता (अनु, योग्यता, देगी आदि) की जांच की जाएगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर यह अभाव पाया जात है तो उसका ऑनलाईन आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया जाएगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। ऑनलाईन आवेदन पत्र में की गई प्रतियोगिता में संबोधन की अवधि समाप्त होने के बाद में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र बोर्ड द्वारा स्वीकार किया जाएगा।
- आवेदक जिसके ऑनलाईन आवेदन पत्र अन्तिम तिनांक तक बोर्ड कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्रथा होगी, ऐसे आवेदकों को बोर्ड द्वारा अन्तिम (Provisional) रूप से प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा के लिये प्रवेश-पत्र जारी करने का यह अनिश्चित नहीं है कि बोर्ड द्वारा उसको सम्पीडवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा सम्पीडवार द्वारा आवेदन-पत्र में की गयी प्रतियोगिता बोर्ड द्वारा सही मान ली गई है। बोर्ड द्वारा आवेदकों की मात्रा की जांच मुख्य परीक्षा के बाद अन्त में की जायेगी।
- फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश**
फोटो अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश :-
 - फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।
 - आवेदक को नवीनतम रंगीन फोटो (अधिकतम एक मास पुरानी) अपलोड करनी चाहिए। मोबाईल व अन्य स्वयं रचित फोटो का उपयोग नहीं करें।
 - फोटो की पृष्ठभूमि (Background) सफेद या हल्के रंग की होनी चाहिए।
 - फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50 प्रतिशत जगह घेरना चाहिए।
 - फोटो में आवेदक का चेहरा एवं शिर किसी भी कपड़े, छाया, बालों द्वारा ढका हुआ नहीं होना चाहिए। आवेदक का सिर, अंख, नाक और दाढ़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए।
 - यदि आप चश्मा पहनते हैं, तो फोटो खिंचते वकन चश्मा पहन सकते हैं लेकिन चश्मे पर चमक (Flash) नहीं होनी चाहिए।
 - आवेदक को फोटो में काला या धूप का धरना नहीं होना चाहिए।
 - फोटो जेपीईजी (JPG) प्रारूप में होना चाहिए एवं इसकी साईज 3.5 cm x 4.5 cm होनी चाहिए।
 - फोटो जेपीईजी (JPG) के पिक्सेल न्यूनतम 240 x 320 एवं अधिकतम 480 x 640 (0.3 मेगापिक्सेल) होना चाहिए।
 - फोटो का आकार 50 के.बी. से 100 के.बी. तक होना चाहिए।
 - स्कैन की गई फोटो का आकार 100 के.बी. से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
- परीक्षा के समय प्रवेश पत्र/उपस्थिति पत्र पर लगी फोटो आवेदक से मेल खानी चाहिए अन्यथा सम्पीडवार अयोग्य किया जा सकता है।

5. हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश :-

- आवेदक एक सफेद कागज (A4 size) पर 7 सेंटी चौड़ाई एवं 2 सेंटी ऊँचाई के एक आयताकार बॉक्स के भीतर काले या गहरे नीले रंग के पेन से हस्ताक्षर करें।
- हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा किया जाना चाहिए अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर मान्य नहीं होगा।
- आयताकार बॉक्स में हस्ताक्षर करने के बाद इंग्रज को स्कैन करवाकर आयताकार बॉक्स तक क्लॉप करने के पश्चात् अपलोड करें।
- परीक्षा के समय प्रवेश पत्र/उपस्थिति पत्र पर किये गये आवेदक के हस्ताक्षर अपलोड हस्ताक्षर से मेल खाने चाहिए अन्यथा तस्वीरदार अधोग्रहण किया जा सकता है।
- केवल जेपीईजी(JPEG)फॉर्मेट में स्वीकार किया जाएगा।
- जेपीईजी (JPEG) के लिए न्यूनतम पिक्सेल 280 × 80 से अधिकतम पिक्सेल 560 × 160 होना चाहिए।
- फाईल का आकार 20 के.बी. से 50 के.बी. तक होना चाहिए।
- हस्ताक्षर का आकार 60 के.बी. से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
- सोसाईल कोन का उपयोग कर लिया गया हस्ताक्षर का फोटोग्राफ स्वीकार नहीं किया जाएगा।

11. श्रुत लेखन की सुविधा:- शारीरिक अक्षमता वाले परीक्षार्थियों को प्रश्न-उत्तर स्वयं अपने हाथ से लिखने होंगे, केवल सजाखाना दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 में वर्णित ऐसे विशेष शोषजन (ब्लिन्ड) सूक्ष्मदर्शी एवं अन्य दृष्टि न्यूनतम 40 प्रतिशत दृष्टिनिःशक्ता) या शारीरिक रूप से निशक्ता (जो वह कटे होने या चंगडियों नहीं होने के कारण लिखने में असमर्थ है, जो परीक्षा में श्रुतलेखक उपलब्ध करवाये जायेंगे, परन्तु अध्यापक दृष्टानुवाहक लेखन कार्य से असमर्थ होंगे अर्थात् हुए अभ्यर्थियों को यह सुविधा देय नहीं होगी। श्रुतलेखक उपलब्ध कराने हेतु ऐसे परीक्षार्थी प्रवेश पत्र प्राप्त होते ही याचिका चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित बोर्ड को सूचित करें एवं परीक्षा प्रारम्भ होने के कम से कम तीन दिन पूर्व आवेदित परीक्षा केंद्र के केन्द्राधीनक के सम्बन्धित उपस्थित होकर संबंधित चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित श्रुतलेखक की व्यवस्था हेतु अनुसूचक एवं और प्रमाण पत्र की रजिस्ट्रार को एक प्रतिकेन्द्राधीनक को भी दी जायेगी।

12. ऑनलाईन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया:- बोर्ड द्वारा ऑनलाईन आवेदन में संशोधन हेतु कोई ऑफलाईन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। ऑनलाईन आवेदन Submit किये जाने के पश्चात् यदि आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन में OTR Profile में दर्शाये गये स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग के अतिरिक्त अन्य त्रुटि संशोधन निम्नानुसार कर सकता है:-

- यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन में त्रुटि का पता लगाता है तो आवेदन प्रेषित की अंतिम दिनांक के पश्चात् 07 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क 300/- रुपये देकर ऑनलाईन आवेदन में संशोधन कर सकता है। ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, माता के नाम एवं पद नाम, जन्म तिथि, लिंग के अलावा अन्य प्रविष्टियों में संशोधन किया जा सकता है। ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करने एवं संशोधन हेतु निर्धारित फीस जमा कराने की प्रक्रिया ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया के समान ही होगी।
- यदि किसी अभ्यर्थी के ऑनलाईन आवेदन में त्रुटि रह जाती है तथा वह किसी कारणवश आवेदन करने की अंतिम दिनांक के पश्चात् 7 दिवस के भीतर अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन नहीं कर पाता है तो उसे अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करने का एक और अंतिम अवसर परीक्षा आयोजन के पश्चात् ऑनलाईन त्रुटि संशोधन हेतु एक निर्दिष्ट समय दिया जायेगा जिसमें अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन की त्रुटि को ऑनलाईन संशोधन कर सकते हैं। ऑनलाईन आवेदन में संशोधन हेतु दिनांक एवं समय की सूचना फ्लैक से बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से दी जायेगी। उक्त निर्धारित समय में अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन में निर्धारित संशोधन शुल्क 300/- रुपये ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया के समान भुगतान कर संशोधन कर सकते हैं। ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थी केवल केंपी, शैलिंग श्रेणी, विशेष श्रेणी/उप श्रेणी, वैवाहिक स्थिति यथा विधवा, परिवारवादी इत्यादि में संशोधन कर सकते हैं।
- अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन में अपने स्वयं के नाम, माता-पिता के नाम, शैक्षणिक योग्यता, फोटो एवं अपने हस्ताक्षर में संशोधन नहीं कर सकते हैं। आवेदक को अपने नाम, माता-पिता के नाम, पते, शैक्षणिक योग्यता, फोटो एवं हस्ताक्षर से संबंधित त्रुटियों में संशोधन के शिथे (अन्य होने की स्थिति में) पात्रता की जांच एवं दरतावेजों के सत्यापन के समय पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर अग्रसर किया जायेगा।
- इसके पश्चात् ऑनलाईन आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा।

13. आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने व अनुचित साधनों की रोकथाम:- आवेदकों को अपने ऑनलाईन आवेदन में सनसत सूचना सही-सही अंकित करनी चाहिए और परीक्षार्थियों को केन्द्राधीनक/अभिजापक/बोर्ड द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिर्वर्तित पालन करना चाहिए, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केंद्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपयोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध बोर्ड/केन्द्राधीनक जो भी उचित समझे समस्त कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्याय) अधिनियम 2022 के अन्तर्गत एवं बोर्ड द्वारा निर्धारित "Punishment for insolent behavior/disorderly conduct/using or attempting unfair means during the course of examination" तथा "The Rajasthan Subordinate and Ministerial Service Selection Board Prevention of Unfair means in Board Examinations Regulations, 2016" के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों के सूचनाई निर्धारित नमूने एवं फार्मों की विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर दी गई है।

14. समान पात्रता परीक्षा (सीनियर सैकण्डरी स्तर) हेतु परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम:-

परीक्षा की स्कीम

विषय विवरण	प्रश्नों की संख्या	कुल अंक	समय
राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा और विरासत, भारत एवं राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान (EVERYDAY SCIENCE), तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, सामान्य हिन्दी, General English, कम्प्यूटर का ज्ञान, राखतमयिक घटनाएँ।	150	300	03:00 HR

- नोट—
1. सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे तथा सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे।
 2. इस परीक्षा में नकारात्मक अंकन (Negative Marking) नहीं किया जायेगा।
 3. सभी प्रश्न सीनियर सैकण्डरी स्तर के होंगे।

पाठ्यक्रम विवरण

राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा और विरासत :-

- प्राचीन सभ्यताएँ : कालीढंगा, आइडल, स्फेंस्वर, बालाथल और वैराल।
- राजस्थान के इतिहास को महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएँ, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था, सामाजिक-सांस्कृतिक आयोग।
- स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएँ — किले एवं स्तूपक, कलाएँ, चित्रकलाएँ और हस्तशिल्प।
- राजस्थान में स्वतन्त्रता आन्दोलन, राजनीतिक जनजागरण एवं प्रजातन्त्र आन्दोलन।
- राजस्थान का एकिकरण।
- लोक भाषाएँ (बोलियाँ) एवं साहित्य।
- लोक संगीत एवं लोक नृत्य।
- ललित कला, थोड़ा, लोक देवता एवं लोक देवियाँ।
- मूल एवं त्यौहार, रीति रिवाज, देशभूषा तथा अभूषण।

भारत एवं राजस्थान का भूगोल :-

- भारत के भौतिक स्वरूप : पर्वत, उठार, नकरथल एवं मैदान, प्रमुख नदियाँ, बांध, झीलें एवं सागर। वन्य जीव एवं अभयारण्य।
- राजस्थान के प्रमुख भौतिक स्वरूप : जलवायु दशाएँ, वनस्पति एवं मृदाएँ। नदियाँ, बांध एवं झीलें। राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन : खनिज सम्पदा, वन सम्पदा, जल-संसाधन, पशु सम्पदा। वन्य जीव, अभयारण्य एवं संरक्षण। जनसंख्या - वृद्धि, वनस्पति, साक्षरता एवं लिंगानुपात। प्रमुख जनजातियाँ। राजस्थान में पर्यटन।

राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था :-

- भारतीय संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना (उद्देशिका), मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य।
- राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था : राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग, राज्य का मुख्य सचिव, जिला प्रशासन।
- स्थानीय स्व-शासन एवं पंचायती राज।

राजस्थान की अर्थव्यवस्था :-

- राजस्थान में कृषि एवं आर्थिक विकास — राजस्थान की प्रमुख फसलें, कृषि आधारित उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएँ, नए भूमि के विकास सम्बन्धी परियोजनाएँ, हस्तशिल्प उद्योग, बेरोजगारी, सूखा और अकाल।

- राजस्थान में विभिन्न कलाप्रकारी योजनाएँ, महत्गा गांधी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MNREGA), विज्ञान संस्थानों, लघु उद्यम एवं द्वितीय संस्थाएँ, पंचायती राज संस्थाओं की प्रदीर्घ विकास में भूमिका।
- राजस्थान का औद्योगिक विकास – प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक क्षेत्र। लघु, कुटीर एवं ग्रामीण।
- राजस्थान में ऊर्जा के विभिन्न स्रोत – जल विद्युत, तपीय, अणु, पवन एवं सौर ऊर्जा।

दैनिक विज्ञान (EVERYDAY SCIENCE) :-

- भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन (Physical and Chemical Changes); ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएँ (Oxidation and reduction reactions); उत्प्रेरक (Catalysts)
- धातु, अधातु एवं इनके प्रमुख यौगिक (Metals, non-metals and their important compounds); सातान्य जीवन में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण यौगिक (Some important compounds used in daily life)
- कार्बन तथा कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक (Carbon and important compounds of carbon); हाईड्रोकार्बन (Hydrocarbons); कार्बन के अपरूप (Allotropes of carbon); क्लोरो-फ्लोरो कार्बन वा फ्रिऑन (Chloro-Fluoro Carbon or Freons); सी. एन.जी. (Compressed Natural Gas); बहुलक (Polymers); साबुन एवं अम्लीयक (Soap and detergents)
- प्रकाश का परावर्तन व इसके नियम (Reflection of light and its laws); प्रकाश का वर्ण विक्षेपण; (Dispersion of light); लेंस के प्रकार (Types of lenses); दृष्टि दोष तथा उसका निवारण (Defects of vision and their corrections)
- अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी (Space and information technology); भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम (Space research programme of India); सूचना प्रौद्योगिकी (Information technology)
- आनुवंशिकी से सम्बन्धित सामान्य शब्दावली (General terminology related to genetics); मण्डल के आनुवंशिकता के नियम (Mendel's law of inheritance); गुणसूत्रों की संरचना (Structure of Chromosomes); न्यूक्लिक अम्ल (Nucleic Acids); प्रोटीन संश्लेषण का केन्द्रीय सिद्धान्त (Central dogma of protein synthesis); लिंग निर्धारण (Sex determination in human)
- पर्यावरण अध्ययन (Environmental study) : परिसिद्धितिक तंत्र की संरचना (Structure of ecosystems); परिसिद्धितिक तंत्र के जैविक घटक (Biotic factors of ecosystem); परिसिद्धितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह (Energy flow in ecosystem); जैव भू रसायनिक चक्र (Biogeochemical cycles); जैव प्रौद्योगिकी : सामान्य जानकारी (Biotechnology - General information); जैव-पेटेंट (Bio-patent); नई पदम किस्मों का परिष्करण (Development of new plant varieties); ट्रांसजेनिक जीव वा पराजीवी जीव (Transgenic organisms)
- जन्तुओं का आर्थिक महत्व (Economic importance of animals); पादपों का आर्थिक महत्व (Economic importance of plants)
- रक्त समूह (Blood groups); रक्तदान (Blood transfusion); आर.एच.कारक (Rh factor)। रोगाणु तथा मानव स्वास्थ्य (Pathogens and human health); कुपोषण तथा मानव स्वास्थ्य (Malnutrition and human health)। नगण्य रोग : कारण एवं निवारण (Human disease : Causes and cures)

तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता :-

- वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का वर्ग, घनकल, घननूल, घननूल (6 अंकों की संख्याओं तक)।
- गुणनखण्ड, बहुपद के गुणनखण्ड, समीकरण, दो चरों वाले रेखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, लघुगणक।
- अनुपात-समाधुपार, प्रतिशतता, लाभ-हानि, साह्य, सरल व्याज, चक्रवृद्धि व्याज, बट्टा।
- एक हिन्दु घर बनने वाले कोण एवं रेखाएँ, सरल रेखीय आकृतियों, त्रिभुजों की सर्वांगसमता, समरूप त्रिभुज, कार्तीय निर्देशांक प्रणति, दो त्रिभुजों के मध्य चूरियाँ, दो त्रिभुजों के मध्य चूरियों का आन्तरिक एवं बाह्य विभाजन।
- समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, वृक्ष की परिधि एवं क्षेत्रफल, घन, घनत्व, गोले, शंकु तथा बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन।
- कोण एवं उनके माप, चतुर्भुजों के विकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएँ, ऊँचाई-दूरी की सामान्य समस्याएँ।
- अंककों का चित्रों द्वारा निरूपण, केन्द्रीय प्रवृत्ति के माप तथा विचलन, जन्म-मृत्यु सन्धिष्यकी एवं लुप्तकांक।
- साधारण मानसिक योग्यता।
- तर्कशक्ति और विश्लेषणात्मक योग्यता।

Language Knowledge :-

सामान्य हिन्दी :-

- शक्ति और संधि विच्छेद।

- सामासिक पदों की रचना और समास-विग्रह ।
- उपसर्ग ।
- प्रत्यय ।
- पर्यायवाची शब्द ।
- विपरीतार्थक (विलोम) शब्द ।
- अनेकार्थक शब्द ।
- शब्द – युग्म ।
- संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, क्रिया ।
- शब्द – शुद्धि : अशुद्ध शब्दों का शुद्धीकरण और शब्दगत अशुद्धि का कारण ।
- वाक्य – शुद्धि : अशुद्ध वाक्यों का शुद्धीकरण और वाक्यगत अशुद्धि का कारण ।
- वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द ।
- मुहावरे और लोकोक्तियाँ ।
- अंग्रेजी के पारिभाषिक (तकनीकी) शब्दों के समानार्थक हिन्दी शब्द ।
- कार्यालयी पत्रों से सम्बन्धित ज्ञान ।

Language Knowledge :-

General English :-

- Tenses/Sequence of Tenses.
- Voice : Active and Passive.
- Narration : Direct and Indirect.
- Use of Articles and Determiners.
- Use of Prepositions.
- Translations of Simple (Ordinary/Common) Sentences from Hindi to English and vice-versa.
- Glossary of official, Technical Terms (with their Hindi Versions).
- Synonyms.
- Antonyms.
- One word substitution.
- Comprehension of a given passage.
- Knowledge of writing letters: Official, Demi Official, Circulars and Notices.

कम्प्यूटर का ज्ञान :-

- Characteristics of Computers.
- Computer Organization including RAM, ROM, File System, Input & Output Devices.
- MS-Office (Exposure of word, Excel/Spread Sheet, Power Point).

समसामयिक घटनाएं :-

- राजस्थान, भारतीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक घटनाएं एवं मुद्दे।
- वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान एवं संस्थाएं।
- खेल एवं खेलकूद संबंधी गतिविधियां।

15. **बोर्ड की वेबसाइट:**—अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in के माध्यम से समस्त सूचना एवं जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष नम्बर 0141-2722520 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर दुर्गापुरा, जयपुर-302018 को सम्बोधित किया जायेगा।


(हरि प्रसाद शर्मा)
अध्यक्ष